



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के शिकार व उसके अवयवों की तस्करी में संलिप्त
कुख्यात शिकारी "शेरु पारधी" और बिनौरी बाई की जमानत याचिका माननीय जिला एवं सत्र
न्यायालय जबलपुर द्वारा निरस्त

प्रेस विज्ञप्ति (77/26, दिनांक 06.10.2026)

अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्यप्राणी बाघ के शिकार तथा उनके अवयवों की अवैध तस्करी में संलिप्त कुख्यात आरोपी शेरु पारधी तथा सह-आरोपी बिनौरी बाई (निवासी जिला-कटनी) को माननीय न्यायालय से बड़ा झटका लगा है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय द्वारा दोनों आरोपियों की नियमित जमानत याचिका (BA 2974/2026) निरस्त कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि MPSTSF जबलपुर की क्षेत्रीय इकाई द्वारा दर्ज वन अपराध प्रकरण क्रमांक 237/17 (दिनांक 18.02.2025) में कार्रवाई करते हुए करीब 1.5 वर्ष से फरार चल रहे कुख्यात शिकारी शेरु पारधी एवं बिनौरी बाई को शहडोल के ब्यूहारी से 04 सितंबर 2026 को गिरफ्तार किया गया था।

प्रकरण की विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपियों ने वर्ष 2024 में लालबर्बा (बालाघाट) के जंगलों में दो बाघों का अवैध शिकार किया था। इसके उपरान्त बाघों के अवशेषों (खाल, हड्डी व दांत) को अन्य सह-आरोपी सोनू सिंह बावरिया व अन्य आरोपियों के माध्यम से असम, मेघालय और म्यांमार तक फैले अंतर्राष्ट्रीय तस्कर गिरोह को बेचा गया था। इस अवैध सौदे के एवज में आरोपी शेरु पारधी के बैंक खाते में बड़ी रकम हस्तांतरित होना पाया गया है। आरोपी शेरु पारधी, कुख्यात बाघ शिकारी अजीत पारधी का भाई है, जो अपने गिरोह के साथ शिकार करते हैं। शेरु पारधी की कई राज्यों की एजेन्सी की तलाश जारी थी। शेरु पारधी के विरुद्ध कर्नाटक में वर्ष 2002 एवं महाराष्ट्र में वर्ष 2013 में दो वन अपराध पंजीबद्ध हैं, जिसमें एक प्रकरण की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही थी। महाराष्ट्र वन विभाग द्वारा शेरु पारधी को फरार घोषित किया गया है।

एसटीएसएफ (STSF) की ओर से माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय जबलपुर में सशक्त पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आरोपी एक संगठित अंतर्राष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोह का हिस्सा है। जमानत मिलने पर आरोपी द्वारा साक्ष्यों को प्रभावित करने, विवेचना में बाधा डालने की प्रबल संभावना है तथा अभियोजन पक्ष के तर्कों एवं साक्ष्यों का अवलोकन करते हुए माननीय न्यायालय ने माना कि आरोपियों की भूमिका बाघ के प्रत्यक्ष शिकार करने, उसके अंगों का व्यापार करने तथा अवैध धन प्राप्त करने में मुख्य एवं गंभीर रही है। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है तथा खाद्य श्रृंखला व पारिस्थितिक तंत्र में इसका सर्वोच्च स्थान है। इस प्रकार शेरु एवं बिनौरी की उक्त अपराध में सक्रिय भूमिका होना परिलक्षित हो रहा है अतः अपराध की गंभीर प्रकृति, आरोपियों के लंबे समय तक फरार रहने तथा साक्ष्यों को प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए धारा 483 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र निरस्त कर दिया गया है। वर्तमान में प्रकरण में विवेचना जारी है।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल